रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2017/आषाढ़ 12, 1939
No. 588] NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2017/ASADHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 821(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनिमय, 1961 (1961 की 43) (इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 सपठित धारा 44कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये 19 जुलाई, 2017 को लागू होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II के प्ररुप संख्या 3 गघ में, क्रमांक संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"31 (क) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान लिए गए या स्वीकार किए गए आयकर अधिनियम की धारा 269 धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में प्रत्येक ऋण या जमा का विवरण:—

(i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो);

(ii) लिये गए या स्वीकार किए गए ऋण या निक्षेप की रकम;

(iii) क्या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ऋण या निक्षेप चुका दिया गया था;

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में अधिकतम बकाया रकम;

(v) क्या ऋण या निक्षेप बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था;

(vi) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए ऋण या निक्षेप के मामले में क्या वह पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था।

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 269धध में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में लिए गए या स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट राशि का विवरण:—

(i) वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त की गई है, उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो);

(ii) लिये गए या स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट राशि की रकम ;

(iii) क्या विनिर्दिष्ट राशि बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग द्वारा ली गई थी या स्वीकार की गई थी;

(iv) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट राशि के मामले में, क्या वह पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था ।

(केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कम्पनी, बैंककारी कंपनी के मामलों में (क) और (ख) विवरणों का दिया जाना आवश्यक नहीं है।)

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में प्रत्येक ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय का विवरण :-

(i) पाने वाले का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो);

(ii) पुनः संदाय की रकम;

(iii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय खाते में अधिकतम बकाया रकम;

(iv) क्या पुनः संदाय बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली के प्रयोग द्वारा किया गया था;

(v) चैक या ड्राफ्ट द्वारा लिए गए या स्वीकार किए गए पुनः संदाय के मामले में क्या वह पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा लिया गया या स्वीकार किया गया था।

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान धारा 269न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय का विवरण जो बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली द्वारा प्राप्ति से भिन्न हो:-

(i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया है, उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो);

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बैंक खाते के माध्यम से चैक या बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रानिक निकासी प्रणाली द्वारा प्राप्ति से भिन्न ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम।

(ड.) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान चैक या ड्राफ्ट द्वारा प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट न हो, धारा 269 न में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम में ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय का विवरण:-

(i) उधार देने वाला या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया हैः उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्यां (यदि निर्धारिती के साथ उपलब्ध हो);

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट न हो, ऋण या निक्षेप या किसी विनिर्दिष्ट अग्रिम की रकम।

(केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कम्पनी, बैंककारी कंपनी या निगम से लिए गए या स्वीकार किए गए किसी ऋण या निक्षेप या विनिर्दिष्ट अग्रिम के पुनः संदाय के मामले में (ग)(घ) और (ड.) विवरणों को दिया जाना आवश्यक नहीं हैं)"।

[अधिसूचना सं. 58/2017/फा. सं. 370142/10/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और आयकर (17वां संशोधन) नियम, 2017 अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642(अ), तारीख 27 जून, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।